

प्रेस नोट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 17.09.2024

छिनैती का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, अभियुक्त/बालअपचारी के कब्जे से छिनैती की चेन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी/लूट के आपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक तिवारीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 190/2024 धारा 304 (2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त शैलेश यादव उर्फ मुर्गा पुत्र स्व0 लालमन यादव निवासी माधोपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया एवं 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। उक्त अभियुक्त व बाल अपचारी के कब्जे से 01 अदद सोने की चेन बरामद की गयी। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15.09.2024 को वादिनी जब सूरजकुण्ड सब्जी मण्डी से घर की तरफ आ रही थीं उसी समय दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी मुकदमा की सोने की चेन छीन ली गयी थी। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अभियुक्त शैलेश यादव उर्फ मुर्गा पुत्र स्व0 लालमन यादव निवासी माधोपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
2. 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 172/2024 धारा 303(2), 317(2) भा0न्या0सं0 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

बरामदगी –

छिनैती की 01 अदद सोने की चेन

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार तिवारी चौकी प्रभारी सूर्यविहार थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 हैदर अली खाँ थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 मुद्रत शर्मा थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
4. कां0 प्रेम प्रकाश थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
5. कां0 शुभम कुमार थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर